मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 15/2022 वादपत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट.

1– रामी पुत्री स्व. रतनलाल मेघलाल पत्नि पेमा मेघवाल निवासी सुथारखेडा तहसील बडीसादडी

2– निर्मला पुत्री स्व. रतनलाल मेघवाल पत्नि किशनलाल मेघवाल निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी

——वादीगण

बनाम

1– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादी

वादीगण की ओर से वकील श्री एम. एच. खान तथा प्रतिवादी ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा भाणुजा की आराजी नं. 1002 रकबा 0.4700 हैक्टे, आराजी नं. 1003 रकबा 0.4800 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.9500 हेक्टेयर भूमि में खातेदार शान्तिबाई पुत्री रतनलाल मेघवाल के बजाय रामी बाई दर्ज किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में शान्तिवाई पुत्री रतनलाल हिस्सा 1/4 के बजाय वादीगण की संयुक्त खातेदारी में वादिया सं. 1 रामी वाई का 1/8 हिस्सा, वादिया सं. 2 निर्मला का 1/8 हिस्सा घोषित किया किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे.....x... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...x... को दी जावे।

यह आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/148 दिनांक : 28/08/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:16:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 15/2022 ई.रे.

1– रामी पुत्री स्व. रतनलाल मेघलाल पत्नि पेमा मेघवाल निवासी सुथारखेडा तहसील बडीसादडी
2– निर्मला पुत्री स्व. रतनलाल मेघवाल पत्नि किशनलाल मेघवाल निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी

——वादीगण

बनाम

1– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 रा0टै0एक्ट

// निर्णय //　　　　दिनांक :– 28/08/2025

वादीगण की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा भाणुजा तहसील बडीसादडी के खतोनी संख्या नई 446 की आराजी नं. 1002 रकबा 0.4700 हैक्टे , आराजी नं. 1003 रकबा 0.4800 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.9500 हेक्टेयर भूमी स्थित है। उक्त आराजी को वादपत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा । मूल पुरूष रतनलाल(मृतक खातेदार) जी थे । जिनके वारीस पत्नी उदीबाई पुत्री रामी व निर्मला है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता मुल पुरूष श्री रतनलाल के खातेदारी में दर्ज थी रतनलाल की मृत्यु हो चुकी है। रतनलाल की मृत्यु के बाद विरासत से नामन्तरण सं. 1130दिनांक 17–12–2003 खोला गया उसमें रतनलाल की पत्नि उदीबाई एवं शान्ति का नाम बतोर पुत्री दर्ज किया गया इस कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शांतिबाई पुत्री रतनलाल मेघवाल का नाम दर्ज है जबकि वास्तविकता यह हे की स्व. रतनलाल की दो पुत्रीयां मोजुद रही है। प्रथम पुत्री का नाम श्रीमति रामी है जा वादी सं. 1 है और दुसरी पुत्री श्रीमति निर्मला का विधिक वारिस होते हुए भी राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज नहीं हुआ है। विधिक उत्तराधिकारी होने से मृतक रतनलाल के हिस्से में पुत्री निर्मला वादी सं. 2 का भी हित एवं हक हिस्सा निहित होता है।

वादग्रस्त भूमी में मृतक खातेदार श्री रतनलाल की विरासत से उनकी पत्नी श्रीमती उदीबाई का नाम दर्ज होने के उपरान्त श्रीमती उदीबाई ने अपने हिससे की भूमी पंजीकृत विकय विलेख के जरिये श्री बगदीराम मेघवाल को विकय कर दी इस कारण श्रीमती उदी का उक्त भूमी में कोई हक हिस्सा शेष नही रहा ह एवं उदीबाई की खातेदारी समाप्त हो चुकी है । वर्तमान [illegible] न्ति पुत्री रतनलाल के नाम से 1/4 हक हिस्सा दर्ज हो रखा है, जबकि उक्त शान्तिबाई नाम [illegible] र्णित अनुसार मृतक रतनलाल की कोई पुत्री नही रही ह।, वास्तविक पुत्री का नाम श्रीमती रामी है और वा [illegible] दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड आदि में श्रीमती रामी ना [illegible] रिकार्ड में नाम गलत दर्ज हो जोन से विधिक अधिकार रखते हुए भी वादिया सं. 1 उक्त भूमी [illegible] उचित उपयोग उपभोग नही कर पा रही है। सम्पत्ति पर ऋण प्राप्त करने अथवा मुआवजा प्राप्त करने मे नाम की त्रुटी के कारण वादिया सं. 1 को भारी

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:16:08 IST
Reason: SelfAttested

परेशानी हो रही है अतः वादग्रस्त भूमी के राजस्व अभिलेख में शान्तिबाई पुत्री रतनलाल के स्थान पर रामी पुत्री रतनलाल की खातेदारी दर्ज किये जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना है। की वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः–

कि वाद पत्र कि कलम संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में वादिया सं. 1 का नाम शान्तिबाई के बजाय रामी बाई दर्ज किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में शान्तिबाई पुत्री रतनलाल हिस्सा 1/4 के बजाय वादीगण की संयुक्त खातेदारी में वादिया सं. 1 का 1/8 हिस्सा, वादिया सं. 2 का 1/8 हिस्सा घोषित फरमाया जावे। राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार वादीगण के नाम का इन्द्राज कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। और पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में रामी, उदीबाई, निर्मला व बगदीराम के शपथपत्र पेश किये गये। तथा साक्ष्यवादी में PW–1 रामी, PW–2 निर्मला, PW–3 उदी के बयान लेखबद्ध किये गये।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा भाणुजा की आराजी नं. 1002 रकबा 0.4700 हैक्टे , आराजी नं. 1003 रकबा 0.4800 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.9500 हेक्टेयर भूमि में खातेदार शान्तिबाई पुत्री रतनलाल मेघवाल के बजाय रामी बाई दर्ज किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में शान्तिबाई पुत्री रतनलाल हिस्सा 1/4 के बजाय वादीगण की संयुक्त खातेदारी में वादिया सं. 1 रामी बाई का 1/8 हिस्सा, वादिया सं. 2 निर्मला का 1/8 हिस्सा घोषित किया किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।
निर्णय आज दिनांक 28/08/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:16:08 IST
Reason: SelfAttested